भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 405
उत्तर देने की तारीख : 23.03.2020

उच्च शिक्षा में शुल्क ढांचा

***405. श्री जनार्दन मिश्र :**
श्री रोड़मल नागर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार उच्च शिक्षा संस्थाओं में शुल्क ढांचे में बदलाव करने के लिये कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है; और

(घ) ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे॰एन॰यू॰) जैसे शुल्क ढांचे को लागू किया जा रहा है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

"उच्च शिक्षा में शुल्क ढांचा" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जनार्दन मिश्र और श्री रोड़मल नागर द्वारा दिनांक 23.03.2020 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 405 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): उच्च शिक्षण संस्थाओं की फीस में परिवर्तन से संबन्धित किसी भी योजना पर सरकार काम नहीं कर रही है। ज्ञातव्य हो कि हर शिक्षण संस्थान एक स्वायत्त संस्था है । अतः अपनी नियामक इकाइयों जैसे वित्त समिति (Finance Committee), शासक बोर्ड (Board of Governance), कार्यकारी परिषद (Executive Council) इत्यादि के द्वारा फीस में परिवर्तन हेतु विभिन्न शिक्षण संस्थाएं निर्णय लेती हैं।

(ग): तकनीकी संस्थाओं हेतु उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में एआईसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश बी॰ एन॰ श्री कृष्णा की अध्यक्षता में तकनीकी संस्थाओं में फीस की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया था। दिसंबर 2015 में एआईसीटीई ने इस समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया तथा राज्यों के शिक्षा मंत्रालय से मंत्रणा कर इसे जारी किया। इसके तहत विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए फीस की ऊपरी सीमा निर्धारित है। इसके अलावा, हर राज्य में "राज्य फीस रेगुलेशन कमिटी" गठित है। एआईसीटीई के हैंडबुक में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यों के तकनीकी संस्थान राज्य के फीस रेगुलेशन कमिटी के आधार पर ही फीस ले सकते हैं।

(घ): जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की फीस संरचना तथा अन्य विश्वविद्यालयों की फीस संरचना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की प्रकृति के हिसाब से तय होती है ।

****